ायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/34/2025	2025/265	09.04.2025	31.12.2025

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री हरचंद पुत्र श्री फूल सिंह, निवासी ओमवे पार्क सिटी, दिवाकरी, अलवर राज0।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 5 घरेलू गैस सिलेण्डर्स मय 1 बांसुरीनुमा यंत्र को राजसात करने बाबत।

उपस्थिति :—

1. प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि।

——:: निर्णय ::——

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 5 घरेलू गैस सिलेण्डर्स मय 1 बांसुरीनुमा यंत्र को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 25.03.2025 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं बनवारी लाल शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री अमित कुमार यादव, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु मै० अम्बेश गैस एजेंसी, अलवर के डंपिंग प्वाईट, प्राचीन चमेलीनाथ जी की बगीची के सामने, जयपलटन के निकट, अलवर पर पहुंचा।

मौके पर मै० अम्बेश गैस एजेंसी, अलवर के डिलीवरी मैन श्री हरचंद पुत्र श्री फूल सिंह, निवासी ओमवे पार्क सिटी, दिवाकरी, अलवर उपस्थित मिले। मौके पर अस्थाई रूप से संग्रहित घरेलू गैस सिलेण्डर्स का वजन कराया गया। जिनमें से 5 घरेलू गैस सिलेण्डर्स में मानक क्षमता से कम गैस पाई गई एवं मौके पर उपस्थित डिलीवरीमैन के पास से गैस सिलेण्डर्स में अवैध रिफलिंग करने हेतु प्रयुक्त बांसुरीनुमा यंत्र पाया गया। इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर्स में से गैस निकालकर अवैध रूप से रिफलिंग किया जाना पाया गया। जिसका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया।

मै० अम्बेश गैस एजेंसी, अलवर के द्वारा घरेलू सिलेण्डर्स की अवैध रूप से रिफलिंग किया जाना, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 5 घरेलू गैस सिलेण्डर्स मय 1 बांसुरीनुमा यंत्र को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया।

मौके पर उक्त कब्जेराज 5 घरेलू गैस सिलेण्डर्स मय 1 बांसुरीनुमा यंत्र को मै० मोहन गैस, अलवर के प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री गिरधारी लाल, 7बी, जवाहर नगर, अलवर को सुपुर्द किया गया। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 5 घरेलू गैस सिलेण्डर्स मय 1 बांसुरीनुमा यंत्र को राजसात करने की कृपा करें।

अ। रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अप्रार्थी को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता बावजूद रजि0 तलबी/तामील के अनुपस्थित।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, फर्द जब्ती, फर्द सुपुर्दगीनामा और प्रवर्तन अधिकारी के प्रतिवेदन का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर चिंतन–मनन किया गया। यह प्रकरण प्रवर्तन अधिकारी, अलवर (प्रार्थी) के अनुसार, निरीक्षण के दौरान मौके पर डिलीवरी मैन श्री हरचंद (अप्रार्थी) उपस्थित मिले। मौके पर मौजूद घरेलू गैस सिलेण्डर्स का वजन करने पर 5 सिलेण्डर्स में मानक क्षमता से कम गैस पाई गई। तलाशी लेने पर अप्रार्थी के पास एक 'बांसुरीनुमा यंत्र' बरामद हुआ, जिसका उपयोग एक सिलेण्डर से दूसरे में अवैध रूप से गैस स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। डिलीवरी मैन के पास 'बांसुरीनुमा यंत्र' का मिलना स्वतः ही इस बात का प्रमाण है कि उसका उद्देश्य गैस की चोरी करना था। 05 सिलेण्डरों में गैस का कम पाया जाना इस बात की पुष्टि करता है कि उनमें से गैस निकाली गई थी। अप्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य या संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि उक्त कृत्य वैध था या यंत्र रखने का कोई वैधानिक कारण था।

मौके पर पाई गई परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि हरचंद (अप्रार्थी) द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स में से गैस निकालकर अवैध रूप से रिफलिंग की जा रही थी, जो कि घरेलू गैस का व्यावसायिक दुरूपयोग और कालाबाजारी की श्रेणी में आता है। यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के विभिन्न खंडों का स्पष्ट उल्लंघन है। चूंकि अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन किया गया है, अतः जब्तशुदा सामग्री को राज्य सरकार के पक्ष में राजसात किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 5 घरेलू गैस सिलेण्डर्स मय 1 बांसुरीनुमा यंत्र को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 5 घरेलू गैस सिलेण्डर्स मय 1 बांसुरीनुमा यंत्र को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)